न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:– 67/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. एकलिंग आत्मज पेमा जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जेती पुत्री पेमा जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. पारस आत्मज हरलाल जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जगदीश आत्मज माधु जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मांगीलाल आत्मज जैसिंग जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. सुखलाल आत्मज जैसिंग जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सोहन आत्मज जैसिंग जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. हीरालाल आत्मज लेहरू जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लच्छीराम आत्मज लेहरू जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. किशन आत्मज अमरा जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. भैरूलाल आत्मज अमरा जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. अम्बालाल आत्मज देवीलाल जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. उदा आत्मज मोडा जाट आयु वयस्क निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महैन्द्र सिंह चुण्डावत

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 12.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2825/2023 रकबा 0.53 हे0 भुमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदी काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीगण की उक्त आराजी के चारो तरफ के पडोसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 22/05/2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 22.5.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 23.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2825/2023 रकबा 0.53 हे0 भुमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 250/– अक्षरे दौ सौ पचास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
12/6/17